न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट तिर्वा जनपद कन्नौज ।

वाद सं0 /10

धारा 143 जेड0ए0 एक्ट

ग्राम सभा बनाम रामसनेही आदि ।

ग्राम सहियापुर ।

मौ0 रामपुर मझिला ।

निर्णयादेश

प्रस्तुत वाद तहसीलदार तिर्वा की आख्या दिनांक 24-12-10 के आधार पर प्रचलित हुआ है । तहसीलदार तिर्वा ने अपनी आख्या दिनांक 24-12-10 में उल्लेख किया है कि मौ0 रामपुर मझिला परगना तहसील तिर्वा की आराजी गा0सं0-2819 घ रकबा 2.104 हे0 पर दर्ज काश्तकार गौतम बुद्ध डिग्री कालेज सहियापुर द्वारा प्रबन्धक रामसनेही पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा व विशुनदयाल, कैलाश, लाखन पुत्रगण गोविन्द व अर्जुन पुत्र शिवराम निवासीगण नैकापुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है एवं जिस पर कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है और गौतम बुद्ध महाविद्यालय बना है । अतः उ0प्र0ज0वि0 अधि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा 143 जेड0ए0ए0 के तहत उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

प्रकरण में ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा 143 जेड0ए0 वाद योजित किये जाने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये जो वाद तामील पत्रावलित है मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया साथ ही प्रकरण में तहसीलदार तिर्वा द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 24-12-10 का विधिवत अनुशीलन किया गया जांच आख्या स्थलीय एवं निरीक्षण पर आधारित है । चूंकि उक्त भूमि गा0सं0 2819घ रकबा 2.104 हे0 पर कृषि कार्य नही हो रहा है एवं जिस पर गौतम बुद्ध डिग्री कालेज बना है । अतः राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि अंकित रहना किसी भी दशा में उचितनही है ऐसी स्थिति मेंतहसीलदार तिर्वा की आख्या दिनांक 24-12-10 से संतुष्ट होकर उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है । तदनुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौ0 रामपुर मझिला परगना तहसीलतिर्वा की आराजी गा0सं0 2819घ रकबा 2.104 हे0 पर अंकित गौतम बुद्ध डिग्री कालेज सहियापुर द्वारा प्रबन्धक रामसनेही पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा व विशुन दयाल व कैलाश व लाखन पुत्रगण गोविन्द व अर्जुन पुत्र शिवराम नि0 नैकापुर को धारा 143 जेड0 ए0एक्ट के तहत अकृषिक घोषित की जाती है आदेश की एक प्रति तहसीलदार तिर्वा को अभिलेखों में अंकित किये जाने हेतु एवं एक प्रति उपनिबंधक तिर्वा को प्रेषित की जाये बाद अमल दरामद परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जाये पत्रावली दा0द0 की जाये ।

उपजिला मजिस्ट्रेट,
तिर्वा
जनपद - कन्नौज ।